कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक/ 655 /94/आउशि/बजट/18 भोपाल, दिनांक 3/4/2019

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय- महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में मानदेय भुगतान के संबंध में जानकारी बावत ।

संदर्भः- इस कार्यालय का पत्र कमांक/2360/94/आउशि/बजट/18 दिनांक 19.11.18

---0---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 19.11.18 द्वारा अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 आवश्यक वांछित राशि की जानकारी के अनुक्रम में महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन दर्ज की गई थी । यह उल्लेख है कि मानदेय की राशि अप्रेल,18 में ग्लोबल मद में उपलब्ध थी । **महाविद्यालयों द्वारा दर्ज की राशि की जानकारी में कई त्रुटियां होने से वर्ष 2018-19 में राशि आवंटित करने में कई दिक्कते उत्पन्न हुई थी ।**

2. अतः लेख है कि कृपया अतिथि विद्वानों के मानदेय की वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक वांछित राशि के संबंध में जानकारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुये गंभीरता से निम्न आन लाईन प्रारूप में दर्ज करने का कष्ट करें जिससे बजट आवंटन के संबंध में आगामी कार्यवाही की जा सके:-

महावि. का नाम, दूरभाष क एवं प्राचार्य का मो.नं.	डीडीओ कोड जिससे राशि का आहरण होता है	अतिथि विद्वानों की संख्या	दिनांक 1.4.18 से पूर्व अवधि के मानदेय की राशि (जिसका 1.4.18 के बाद भुगतान किया गया है)	दिनांक 1.4.18 से 31.3.19 की अवधि के लंबित मानदेय की राशि जिसका भुगतान किया जाना अभी शेष है(इसमें जनभागीदारी से किये गये भुगतान जिसका समायोजन शेष हे को भी शामिल किया जावे)	1.4.19 से 30.6.19 तक मानदेय की वास्तविक आवश्यक कुल राशि	कुल वांछित आवश्यक राशि (5+6)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समर्पित राशि	समर्पित करने की दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. यह भी लेख है कि कुछ महाविद्यालयों में अराजपत्रित अतिथि विद्वान कार्यरत है जिनके द्वारा मानदेय के भुगतान हेतु राशि की मांग भी की जाती रही है । ऐसे महाविद्यालयों द्वारा **अराजपत्रित अतिथि विद्वानों** के मानदेय के संबंध में उक्त प्रपत्र में पृथक से जानकारी ऑनलाईन माड्युल में दर्ज की जावे ।

4. यह भी निर्देशित किया जाता है कि जानकारी दर्ज करते समय प्रपत्र को ध्यानपूर्वक अध्यनन कर एवं निम्न निर्देशों को ध्यान में रखा जावेः-

(1) ऑन लाईन दर्ज अतिथि विद्वानों की संख्या में कोई परिवर्तन हो तो उसके संबंध में प्रथमतः आई.टी.सेल में सम्पर्क कर ऑनलाईन जानकारी सही दर्ज करावे । प्रपत्र में रिमार्क कॉलम में भी इस संबंध में उल्लेख किया जावे ।

(2) कॉलम-5 में दर्ज की जाने वाली राशि में जनभागीदारी समिति से किये गये भुगतान की राशि जिसका समायोजन अभी तक नही किया गया है, उस राशि को भी शामिल किया जावे ।

Scanned by CamScanner

5. अतः कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्धारित प्रपत्र में केवल ऑन लाईन माड्युल में ही अतिथि विद्वानो के मानदेन हेतु आवश्यक राशि की सही एवं स्पष्ट जानकारी **दिनांक 8.4.19 तक आवश्यक रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में मानदेय के भुगतान हेतु राशि आवंटन के संबंध में कार्यवाही की जा सके** । पृथक से हार्डप्रति या ईमेल से जानकारी नही भेजी जावे ।

(डॉ.सुषमा दुबे)
संचालक-वित्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0क0/656 /94/आउशि/बजट/18 भोपाल, दिनांक- 3/4/2019

प्रतिलिपि-

1. डॉ.राकेश श्रीवास्तव,वि.क.अ.(आइ.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल। **कृपया पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें एवं उल्लेखित प्रारूप का** ऑनलाईन माड्युल एक्सेल प्रोग्राम में विभाग की वेबसाईट पर महाविद्यालयों द्वारा **जानकारी दर्ज करने हेतु** उपलब्ध कराते हुये बिन्दु-2 व 3 अनुसार **प्रारंभ करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें** ।
2. **समस्त क्षेत्रीय** अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संचालक-वित्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner